राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 25, सोमवार, शाके 1937–नवम्बर 16, 2015
Kartika 25, Monday, Saka 1937–November 16, 2015

सत्यमेव जयते

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 2, 2015

संख्या प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/2015/14043:–राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 सपठित धारा 332 की उप–धारा (1क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा लीज डीड/पट्टा जारी करने के प्रयोजनार्थ आयुक्त नगर निगम जयपुर की शक्तियां, अतिरिक्त आयुक्त एवं सम्बन्धित जोन उपायुक्त, नगर निगम जयपुर को एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रत्यायोजित की जाती है:–

क्रम सं.	पद का नाम	पट्टा/लीजडीड जारी करने की सीमा/ शक्तियां
01.	अतिरिक्त आयुक्त	आवासीय प्रयोजनार्थ 5000 (पांच हजार) वर्गमीटर से अधिक के प्रकरण तथा गैर आवासीय प्रयोजनार्थ 2500 (दो हजार पांच सौ) वर्गमीटर से अधिक के प्रकरण, जो नगर निगम की अधिकारिता में हो
02.	सम्बन्धित जोन उपायुक्त	आवासीय प्रयोजनार्थ 5000 (पांच हजार) वर्गमीटर से कम के प्रकरण तथा गैर आवासीय प्रयोजनार्थ 2500 (दो हजार पांच सौ) वर्गमीटर से कम के प्रकरण।

राज्यपाल की आज्ञा से,
पुरुषोत्तम बियाणी,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।